विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0029913

श्री सूर्यभान तिवारी, — आवेदक
तनय स्व. श्री प्रभानन्द तिवारी,
पयासी आटा चक्की के पास,
उतैली, तह. रघुराजनगर,
जिला – सतना (म.प्र.)
पिन कोड – 485 001

विरूद्ध

1. कार्यपालन यंत्री (सिटी) डिवीजन,
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.) – 485001

— अनावेदकगण

2. जूनियर इंजीनियर (कोलगवां वितरण केन्द्र),
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सतना (म.प्र.) – 485001

आदेश
(दिनांक 07.01.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत क्रमांक 369/2012 श्री सूर्यभान तिवारी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य 1 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2012 के विरूद्ध यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने स्वयं के मकान में एक विद्युत कनेक्शन 11 वर्ष पूर्व प्राप्त किया था । उसके छोटे भाई कृष्णभान तिवारी ने कूटरचित दस्तावेज के आधार पर उसी परिसर में एक नया विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया गया है । अनावेदकगण द्वारा उसकी सहमति के बिना उसके स्वामित्व के मकान में नया विद्युत कनेक्शन देना विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के विपरीत है, अतः ऐसे विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किया जाए ।

3. अनावेदकगण की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के छोटे भाई ने कूटरचित साम्पत्य के आधार पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया था, इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उसका

कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, परन्तु जिला उपभोक्ता प्रतितोषण फोरम, सतना का आदेश प्राप्त होने पर दिनांक 13.07.12 को पुनः कनेक्शन जोड़ा गया ।

4. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि आवेदक तथा उसके छोटे भाई के बीच मकान के स्वामित्व का विवाद है । विद्युत कनेक्शन संबंधी प्रकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सतना के विचाराधीन है, अतः मामला मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1706 दिनांक 28.08.09 की कण्डिका 3.35 के अनुसार फोरम के क्षेत्राधिकार के बाहर है, अतः उपभोक्ता का परिवाद निरस्त किया जाता है ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि उसके परिसर में एक दूसरे व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन दिया जाना मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.15 के विपरीत है, परन्तु फोरम द्वारा इस तथ्य पर विचार किए बिना उसकी शिकायत को निरस्त किए जाने का जो आदेश दिया है वह विधिसंगत नहीं है ।

6. **विचारणीय प्रश्न यह है कि** – क्या मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.15 की अपेक्षाओं को पूरा किए बिना यदि किसी व्यक्ति को विद्युत कनेक्शन दिया गया है तो वह अन्य व्यक्ति की आपत्ति पर ऐसे विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किया जा सकता है ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है :–

7. **विचारणीय प्रश्न क्रमांक – 1 का विवेचन :** इस मामले में इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक सूर्यभान तिवारी का सगा भाई कृष्णभान तिवारी है जैसा उस भवन में सूर्यभान तिवारी को विद्युत कनेक्शन दिया गया था तथा इसी भवन में कृष्णभान तिवारी के आवेदन पर एक दूसरा कनेक्शन दिया गया है । विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सूर्यभान तिवारी द्वारा आपत्ति किए जाने पर कृष्णभान तिवारी का विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया था, परन्तु जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सतना के आदेश के अनुसरण में पुनः कनेक्शन जोड़ दिया गया था । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सतना के प्रकरण 340/एफ/12 कृष्णभान तिवारी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 29.12.11 का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि कृष्णभान तिवारी की ओर से प्रस्तुत परिवाद को फोरम द्वारा निरस्त किया जा चुका है । यह कहा गया है कि इस आदेश के विरूद्ध अपील लंबित है, लेकिन अपील संबंधी कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है ।

8. आवेदक सूर्यभान तिवारी ने जरिए डाक एक पत्र प्रेषित किया है कि अनावेदक द्वारा जब भी माननीय राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल का आदेश प्रस्तुत किया जाए तब उसकी जानकारी उसे दी जाए । इस पत्र में यह भी लेख किया गया है कि माननीय न्यायालय ने इस आशय का आदेश दिया है कि

माननीय राज्य उपभोक्ता फोरम, भोपाल में अपील विचाराधीन है, जिसके निर्णय के उपरान्त ही माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई एवं निर्णय दिए जाने का आदेश आदेश पत्रिका में दिया गया है ।

9. विद्युत लोकपाल के समक्ष जो मामला लंबित है अर्थात् विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण 369/12 सूर्यभान तिवारी विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में आदेश दिनांक 31.08.12 के विरूद्ध जो अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें ऐसा कोई आदेश आदेश पत्रिका में दिया जाना नहीं पाया जाता है और ऐसा आदेश दिए जाने का भी कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है ।

10. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम, सतना के प्रकरण 340/एफ/12 के आदेश की प्रति अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि इस मामले में आवेदक परिवादी कृष्णभान तिवारी द्वारा अपने भाई सूर्यभान तिवारी को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था तथा सूर्यभान तिवारी द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के समक्ष जो शिकायत प्रस्तुत की गई थी उसमें अपने भाई कृष्णभान तिवारी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है ।

11. सूर्यभान तिवारी तथा कृष्णभान तिवारी सगे भाई हैं, एक ही मकान में रहते हैं तथा दोनों ने विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर रखा है । विद्युत कनेक्शन दिए जाते समय यदि कृष्णभान तिवारी द्वारा प्रश्नगत परिसर के स्वामित्व एवं कब्जें के संबंध में तात्विक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तो उस स्थिति में विद्युत कनेक्शन मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.15 के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में विद्युत कनेक्शन देने से मना कर सकते थे, परन्तु यदि एक बार कनेक्शन दे दिया गया है उस स्थिति में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 4.15 की अपेक्षाओं का पालन न किए जाने मात्र से विद्युत कनेक्शन को विच्छेदित किए जाने का कोई प्रावधान विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में नहीं है ।

12. सूर्यभान तथा कृष्णभान तिवारी के बीच विवाद मकान के स्वामित्व एवं कब्जे का है । यदि मकान का स्वामी सूर्यभान तिवारी है तो कृष्णभान तिवारी का मकान में कब्जा है और अपने कब्जे के हिस्सें में ही उसने विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया है । अतिचारी को कब्जे से हटाने के लिए भवन का स्वामी विद्युत वितरण कम्पनी की शक्तियों का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है । यदि कृष्णभान तिवारी को मकान के कब्जे से हटाना चाहते हैं तो उसका उपचार उसे इस प्रयोजन के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए । एक बार विद्युत कनेक्शन कृष्णभान तिवारी को दिए जाने के बाद आवेदक की आपत्ति के आधार पर ऐसे कनेक्शन को विच्छेदित करने का आदेश नियमानुसार विद्युत वितरण कम्पनी को नहीं दिया जा सकता है ।

13. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक सूर्यभान तिवारी की ओर से प्रस्तुत शिकायत के संबंध में फोरम द्वारा या लोकपाल द्वारा कार्यवाही किए जाने का कोई विधिसंगत आधार प्रतीत नहीं होता है, अतः उसकी ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

14. आदेश की प्रति के साथ फोरम की नस्ती वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल